सत्यमेव जयते

उस्ताद
USTTAD

विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन

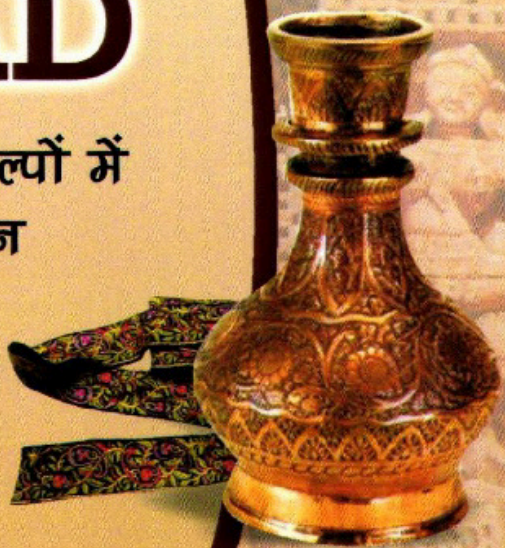

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
जनवरी, 2018

सत्यमेव जयते

usttad

विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन

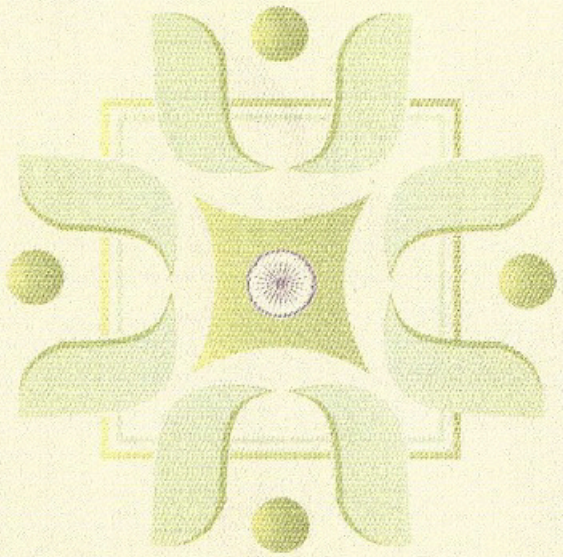

ustad

Contents

अनुक्रमणिका क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	उद्देश्य	1
3	योजना का कार्यक्षेत्र	2
4	ज्ञान भागीदार	2
5	योजना के संघटक	3
	(क) संस्थानों के माध्यम से पारम्परिक कलाओं/शल्पों में कौशलों और प्रशिक्षण का उन्नयन • परियोजना क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों (पीआईए) की पात्रता • पात्र प्रशिक्षणार्थी • योजना का क्रियान्वयन • पाठ्यक्रम की अवधि एवं विषय–वस्तु • वित्तपोषण का स्वरूप • अनिवार्य अवसंरचना • निधियाँ जारी करना • आवेदन की प्रक्रिया • स्व–रोजगार/प्लेसमेंट • सूचना प्रबंधन प्रणाली • परियोजना की निगरानी • लेखा–परीक्षा • परियोजना का पूर्ण होना	13–15
	(ख) अनुसंधान एवं विकास हेतु उस्ताद प्रशिक्षुता वजीफा • उद्देश्य • पात्रता • वित्तपोषण	13

अनुक्रमणिका क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
	(ग) पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण हेतु शिल्प संग्रहालय को सहायता • उद्देश्य एवं पात्र संगठन • वित्तपोषण • मंजूरीदाता समिति • निधियाँ जारी करना	14
	(घ) हुनर हाट और उस्ताद शिल्प उत्सव – विपणन हेतु अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों को सहायता • उद्देश्य • वित्तीय मानक • क्रियान्वयनकर्त्ता अभिकरण • निधियाँ जारी करना	15
	(ङ) उत्कृष्ट मास्टर शिल्पकारों और दस्तकारों/पाक कला विशेषज्ञों को उस्ताद सम्मान	17
6	निबंधन एवं शर्तें	20
7	योजना की समीक्षा	20
8	परिशिष्ट	21–24

1. भूमिका

1.1 भारत अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए जाना जाता है भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को उनके पारंपरिक कौशल, कला और शिल्प के लिए जाना जाता है। लेकिन प्रतिस्पर्धी बाजार और वैश्वीकरण की शक्तियों के कारण, और मास्टर कारीगरों/कारीगरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के बिगड़ने के कारण, ये कौशल युवा पीढ़ी द्वारा अपनाएं नहीं जा रहे हैं। भारत सरकार को दृढ़ विश्वास है कि इन कलाओं/शिल्पों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। पारंपरिक कला और उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता है जो कुटीर और लघु उद्योग की रीढ़ हैं और बेहतर बाजार संबंध स्थापित करने, ब्रांडिंग बढ़ाने और क्रेडिट तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। **नियमित प्रदर्शनियों के माध्यम से अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों एवं विशेषज्ञता जैसे कि पाक कला के क्षेत्रों को प्रदर्शित करने में सुविधा प्रदान करने की भी जरूरत है।**

1.2 अतः, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो रही 14 वें वित्त आयोग की शेष अवधि में भी इस योजना को 100% केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में जारी रखने का प्रस्ताव है।

2. उद्देश्य

(1) सिद्धहस्त कारीगरों/कारीगरों का क्षमता निर्माण करना और पारंपरिक कला/शिल्प के लिए मास्टर शिल्पकारों/कारीगरों के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करना।

(2) चिन्हित कलाओं/शिल्पों के मानक स्थापित करना तथा उनका प्रलेखन।

(3) अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कलाओं/शिल्पों की समृद्ध विरासत का संरक्षण।

(4) पारंपरिक कौशलों का वैश्विक बाजार के साथ संबंध स्थापित करना।

(5) मौजूदा कामगारों की रोजगारपरकता, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों आदि की स्थिति में सुधार करना।

(6) हाशिये पर आ चुके अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर आजीविका के साधन जुटाना और उन्हें मुख्यधारा में लाना।

(7) बढ़ते हुए बाजार में अवसरों का लाभ उठाने में अल्पसंख्यकों को सक्षम बनाना।

(8) श्रमिकों की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना।

(9) पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में डिज़ाइन विकास एवं अनुसंधान।

(10) **पाक कला कौशलों सहित प्रदर्शनियों के माध्यम से पारंपरिक कलाओं एवं कौशलों को प्रदर्शित करना जो व्यापार अवसरों के लिए एक**

प्लेटफार्म भी प्रदान करेंगी।

(11) लुप्त होती कलाओं/शिल्पों का संरक्षण।

(12) डिजाइन पूर्वानुमान और अपनाए जाने वाले रूझान।

(13) प्रतिभावान मास्टर शिल्पकारों और दस्तकारों को मान्यता देना।

3. योजना का कार्यक्षेत्र

(1) इस योजना का उद्देश्य सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना तथा उनके पारम्परिक कौशलों को अद्यतन बनाना होगा। ये प्रशिक्षित सिद्धहस्त शिल्पी/कारीगर अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न विशिष्ट पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण देंगे।

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के विकास तथा बाजार से उन्हें जोड़ने और प्रतिभावान मास्टर शिल्पकारों एवं कलाकारों की मान्यता के लिए उनके द्वारा अपनाई जा रहीं सभी महत्वपूर्ण पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के लिए इस कौशल विकास कार्यक्रम को शुरू करेगा।

4. ज्ञान भागीदार

(i) सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों का क्षमता–निर्माण करने तथा उनके पारम्परिक कौशलों का उन्नयन करने के लिए तकनीकी इनपुटों के साथ मंत्रालय तथा परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसियों (पीआईए) की सहायता करने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कौशल ज्ञान भागीदारों को शामिल किया जाएगाः–

- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
- क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषदें
- अन्य विशेषज्ञ एजेंसियां

(i) ज्ञान भागीदारों को मंत्रालय तथा पीआईए को निम्नलिखित क्रियाकलापों के माध्यम से सहायता करनी होगीः

(क) अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा व्यवहार में लाए जा रहे परंपरागत कौशलों/शिल्पों की पहचान।

(ख) पहचान किए गए शिल्पों का मानक स्थापित करना।

(ग) पहचान किए गए शिल्पों का प्रलेखन।

(घ) डिजाइन विकास तथा अनुसंधान।

(ङ) सिद्धस्त शिल्पकारों तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए पाठ्यक्रमों का विकास।

(च) प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग, मूल्यांकन और प्रमाणन।

(छ) कोई अन्य क्रियाकलाप जिसे मंत्रालय परंपरागत कौशलों/शिल्पों के परिरक्षण

तथा संवर्धन के लिए आवश्यक समझे।

(ज) **लुप्त होती कलाओं/शिल्पों की पहचान एवं उनका संरक्षण।**

(झ) **डिजाइन पूर्वानुमान और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए सम्मान।**

5. योजना के संघटक

योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम होंगे:–

(क) संस्थानों के माध्यम से पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों और प्रशिक्षण का उन्नयन।

(ख) अनुसंधान एवं विकास हेतु उस्ताद प्रशिक्षुता वजीफा।

(ग) पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का संग्रह करने हेतु शिल्प संग्रहालय को सहायता।

(घ) देशभर में और विदेश में प्रदर्शनियों के माध्यम से उनके उत्पादों का विपणन करने हेतु **हुनर हाट और शिल्प उत्सव के जरिए अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों को सहायता।**

(ङ) **प्रतिभावन मास्टर शिल्पकारों एवं कारीगरों को मान्यता प्रदान करना।**

संघटक (क): संस्थानों के माध्यम से पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में कौशलों तथा प्रशिक्षण का उन्नयन:

इस संघटक को एक संस्थागत ढ़ाँचे के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा जिसमें मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), विकास आयुक्त हस्तशिल्प अथवा क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त पारम्परिक कलाओं/शिल्पों से संबंधित प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु संस्थानों को सहायता उपलब्ध कराएगा।

I. परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसियों हेतु पात्रता:–

(क) यह योजना निम्नलिखित परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी:–

क) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों के लिए पंजीकृत सोसाईटियां जिन्हें स्थापित बाजार संबंधों के साथ इस प्रकार के पारम्परिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों को संचालित करने का अनुभव हो।

ख) इस प्रकार के पारम्परिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों को स्थापित बाजार संबंधों के साथ कम–से–कम पिछले तीन वर्षों से आयोजित कराने वाला कोई प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान।

ग) कोई भी उद्योग अथवा एसोचैम, सीआईआई, फिक्की इत्यादि सरीखे

उद्योगों का एसोसिएशन जो समुचित प्लान के साथ योजना के वित्तीय मानकों के अनुसार इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों को संचालित करने के इच्छुक हों।

घ) विश्वविद्यालयों सहित केंद्र/राज्य सरकारों का कोई भी संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केंद्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान जिनके पास ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की क्षमता हो और अनिवार्य मानदंड पूरा करते हों।

II. पात्र प्रशिक्षणार्थी/लाभार्थी

(क) प्रशिक्षणार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना चाहिए। तथापि अंतर–समुदाय भाई–चारा को बढ़ावा देने के लिए गैर–अल्पसंख्यक समुदायों से बीपीएल परिवारों से संबंधित 25% उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% सीट भी आरक्षित रखी जाएगी।

(ख) प्रशिक्षणार्थी की आयु 14–45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

(ग) प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम अर्हता कम से कम पाँचवी कक्षा होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विकलांग व्यक्तियों के लिए इसमें भी छूट दी जा सकती है।

(घ) एक परिवार के एक से अधिक सदस्य उसी कला/शिल्प प्रारूप में प्रशिक्षण के पात्र हैं बशर्ते कि वह पात्रता मापदंड को पूरा करता/करती हो।

III. योजना का कार्यान्वयन

(1) यह योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (यथा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन)द्वारा अपनाई जा रहीं पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण तथा बाजार संबंधों के साथ इसके संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जाएगी।

(2) यह योजना देश में कहीं पर भी आरंभ की जा सकती है।

(3) पीआईए निष्णात प्रशिक्षकों को नियोजित करेगा **(किसी विशेष शिल्प के अधीन अधिकतम 100 प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रत्येक शिल्प हेतु एक मास्टर शिल्पकार)** जो पारम्परिक कला/शिल्प के चुनिंदा क्षेत्र में जाने–माने सिद्धहस्त शिल्पकार/कारीगर हों।

(4) **राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों, राष्ट्रीय योग्यता प्रमाण–पत्र धारकों की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।**

5) पीआईए के लिए मौजूदा आर्थिक रुझान देखते हुए किसी विशिष्ट क्षेत्र में बाजार तथा स्व–रोजगार की संभावना का अग्रिम रूप से मूल्याँकन करना अनिवार्य होगा।

(6) पीआईए पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने, मांग तथा बाजार विकसित करने के उद्देश्य से 'प्रदर्शनियां' तथा श्क्रेता–विक्रेता समागमश हेतु उद्योग के साथ मिलकर तंत्रों को सक्रिय करने पर विचार करेगा।

(7) पीआईए ज्ञान भागीदारों तथा निष्णात प्रशिक्षकों के साथ सलाह–मशविरा करके पाठ्यक्रम मॉडयूल तैयार करेगा।

(8) पीआईए क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ पंजीकृत ज्ञान भागीदारों तथा एजेंसियों की ओर से प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएगा।

(9) पीआईए वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), बैंकों इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को स्व–रोजगार के लिए आसान लघु ऋण की व्यवस्था करेगा।

(10) न्यूनतम 33% सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

(11) पीआईए को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना होगा जिसमें निम्नलिखित क्रियाकलापों को शामिल किया गया हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारम्परिक कला/शिल्पों के परिरक्षण, बाजार लिंकेज स्थापित करने और युवा पीढ़ी के बीच पारंपरिक कलाओं/शिल्पों को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए रूचि उत्पन्न करने के वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं:–

i. सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों की पहचान तथा उनका क्षमता–निर्माण एवं पारम्परिक कौशल को अद्यतन करना।

ii. पारम्परिक ट्रेडों में रुचि रखने वाले अल्पसंख्यसक युवाओं की पहचान तथा स्व–सहायता समूहों (एसएचजी)/उत्पादक कंपनियों में समूहीकरण। एक स्व–सहायता समूह में औसत 20 सदस्य होंगे।

iii. युवाओं को उनके कौशल स्तर (पारम्परिक कला/शिल्प, उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण, मृदु कौशल, आईटी प्रशिक्षण) को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था जो उन्हें पारम्परिक कौशलों को सीखने तथा एसएचजी को बाजार उन्मुख उत्पादन मॉडल तैयार करने में सक्षम बना सके।

iv. स्व–सहायता समूह को अग्रवर्ती (ग्राहक सुलभता) तथा पश्चवर्ती संबंध (विक्रेता सुलभता) उपलब्ध कराना।

v. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत करने हेतु बिजनेस प्लान प्रस्ताव तैयार करने में स्व–सहायता समूह की मदद करना। इन प्रयासों के माध्यम से स्व–सहायता समूह के लिए निधियां जुटाना।

vi. स्व–सहायता समूह/उत्पादक कंपनी के लिए प्रबंधन टीम को किराये पर लेने में स्व–सहायता समूह की मदद करना।

(12) इस कार्यक्रम का फोकस इस बात पर है कि क्रियाकलापों से पारम्परिक कलाओं/शिल्पों को सीखने, निधियों की सुलभता से पारम्परिक कलाओं/शिल्पों में कुशल युवाओं के स्व–सहायता समूह के सृजन तथा वंचित अल्पसंख्यक परिवारों के लिए आय वृद्धि में मदद मिलें।

IV. पाठ्यक्रम की अवधि एवं विषय–वस्तुः

(1) पाठ्यक्रम न्यूनतम दो माह की अवधि का तथा चुनिंदा पारम्परिक कला/शिल्प के आधार पर अधिकतम 1 (एक) वर्ष का होना चाहिए। पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु तथा कार्यक्रम की अवधि या तो एमएसडीई, विकास आयुक्त हस्तशिल्प, क्षेत्रीय निर्यात संवर्धन परिषदों के माड्यूलों अथवा ज्ञान भागीदारों द्वारा विकसित तथा एनआईडी/एनआईएफटी/आईआईपी द्वारा संवीक्षित अनुसार होनी चाहिए।

(2) पाठ्यक्रम में मृदु कौशलों, सूचना प्रौद्योगिकी, अंग्रेजी में बोल–चाल (प्रशिक्षुओं के शैक्षणिक स्तर के आधार पर) इत्यादि संबंधी प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाएगा।

(3) सप्ताह में अधिकतम 6 (छह) दिन तथा माह में अधिकतम 24/26 दिन प्रशिक्षण दिवस होंगे। एक दिन में, न्यूनतम 5 (पाँच) घंटों का प्रशिक्षण होगा।

(4) परियोजना में स्व–सहायता समूह/उत्पादक कंपनियां बनाने को शामिल किया जाएगा।

(5) परम्परागत शिल्पों जैसे कालीन बुनाई/हाथ से बना कालीन के लिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) भदोही, श्रीनगर और जयपुर की पाठ्यक्रम विषय–वस्तु, यदि उपलब्ध हो, का अनुसरण किया जाए।

V. वित्तपोषण का स्वरूप

(क) यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और चुनिंदा परियोजना क्रियान्वयनकर्त्ता एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से सीधे मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

(ख) अनुमोदित परियोजनाओं की पूरी लागत, निर्धारित वित्तीय मानक के अनुसार मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

(ग) परियोजना लागत के 2% की प्रोत्साहन राशि उन पीआईए को देय होगी जिन्होंने स्व–सहायता समूहों अथवा प्लेसमेंट्स (जैसी भी स्थिति हो) के लिए बिजनेस प्लान के कार्यान्वयन सहित सभी शर्तों के साथ समय पर परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की हो।

(घ) पाठ्यक्रम के विभिन्न संघटकों के लिए लागत मानक निम्नानुसार होंगेः

लागत शीर्ष	प्रतिमाह अधिकतम अनुमत व्यय (भारतीय रुपये)
सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों का क्षमता निर्माण एवं उनका अभिमुखीकरण (दो सप्ताह केवल)	गैर–आवासीय कार्यक्रम हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 10,000/– रुपये
कंप्यूटरों, मेजों, कुर्सियों, वर्कस्टेशनों इत्यादि सहित किराये/पट्टे का व्यय	
किराये, बिजली, पानी, जनित्र एवं अन्य चालू खर्चों सहित प्रशिक्षण केन्द्रों का संगठन एवं रख–रखाव	
प्रशिक्षण के दौरान भोजन, चाय एवं स्थानीय यात्रा खर्च या प्रशिक्षण से संबंधित किसी अन्य समारोह का खर्च	
सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों का अभिमुखीकरण एवं प्रेरण	
रिसोर्स व्यक्तियों (सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों के अलावा) को पारिश्रमिक सहित प्रशिक्षण खर्च, कच्चा माल, लर्निंग किट, मूल्याँकन एवं प्रमाणन	
एमआईएस वेबसाइट, ट्रैकिंग तथा अन्य निगरानी खर्च	
प्रोटोटाइप विकास	
संस्थागत उपरि व्यय (उपर्युक्त सभी का अधिकतम 10%)	
प्रत्येक सिद्धहस्त शिल्पकार/कारीगर को पारिश्रमिक	3000/– रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी, जो 0.50 लाख रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए, जो भी कम हो, और 5.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
प्रोत्साहन राशि–सफल स्व–सहायता समूहों अथवा प्लेसमेंट्स के लिए परियोजना लागत का 2% (वार्षिक कार्य–निष्पादन के आधार पर आकलन किया जाएगा)	

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित लागतें भी स्वीकार्य होंगी :

(i) बाह्य स्थान के लाभार्थी को भोजन/आवास (जिसके लिए संगठन भोजन सहित आवासीय सुविधा की व्यवस्था करता है) 7500/– रूपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से।

(ii) **सभी गैर–आवासीय/आवासीय प्रशिक्षणार्थियों के लिए मासिक वजीफा प्रशिक्षण अवधि के लिए 3000/– रूपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी होगा।**

(iii) **सिक्किम एवं वाम पक्षीय उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) पीड़ित राज्यों (भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के मामले में,** उन पीआईए को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय तौर पर क्षेत्र के भीतर परियोजनाओं का संचालन एवं शुरूआत करते हैं। तथापि, वास्तविक कठिनाइयों की स्थिति में, अगर इन क्षेत्रों से बाहर परियोजनाओं की

शुरूआत की जाती है तो यात्रा की लागत निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी:

(क) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के मामले में प्रति प्रशिक्षु 5000/– (पांच हजार रूपये केवल) रूपये एकबारगी सहायता के रूप में आने–जाने की यात्रा लागत के लिए स्वीकार्य होंगी। यह समग्र राशि पीआईए द्वारा प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में एक ही बार में उस वक्त अंतरित कर दी जाएगी, जब वह प्रशिक्षण में आ जाता/जाती है।

(ख) वाम पक्षीय उग्रवाद से पीड़ित राज्यों से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के मामले में, प्रति प्रशिक्षु 2500/– (दो हजार पांच सौ रूपये केवल) रूपये एकबारगी सहायता के रूप में आने–जाने की यात्रा लागत के लिए स्वीकार्य होंगे। यह समग्र राशि पीआईए द्वारा प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में एक ही बार में उस वक्त अंतरित कर दी जाएगी जब वह प्रशिक्षण में आ जाता है/जाती है।

(iv) प्रशिक्षणार्थियों को आधार/यूआईडी नं0, यदि उपलब्ध है अथवा किसी अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान संख्या से जोड़ा जाएगा।

(VI) पीआईए के पास आवश्यक अवसंरचना

(क) संगठन के पास गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में कक्षा–कक्षों, प्रदर्शन सुविधाओं, शौचालयों (महिलाओं हेतु अलग से प्रसाधन सुविधा सहित) मशीनों (विशेष शिल्प के अंतर्गत जहां कहीं लागू हो) तथा बुनियादी सुविधा आदि के साथ समुचित भवन (स्वयं का अथवा किराये का) होना चाहिए।

(ख) आवासीय पाठ्यक्रमों के मामले में, संगठन के पास छात्रावास सुविधा (बालकों और बालिकाओं के लिए अलग–अलग) होनी चाहिए। बालिकाओं के छात्रावास हेतु सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) संगठन बाह्य स्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए (पुरूष एवं महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए अलग–अलग) आवासीय सुविधाएं सुनिश्चित करेगा।

(VII) निधियां जारी करना:

(i) परियोजना के अनुमोदन पर, निधियां 3 किस्तों में जारी की जाएंगी अर्थात **30:50:20**+ प्रोत्साहन राशि (यदि लागू हो)। **वित्तपोषण का पैटर्न सरकार द्वारा समय–समय पर लागू सामान्य मानकों या नियमों/विनियमों के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन होगा।** जारी की गई निधियां पीआईए को उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक अन्तरण द्वारा सीधे संवितरित की जाएंगी।

(ii) निधियां जारी करने के लिए किस्त का पैटर्न निम्नानुसार होगा:

1. प्रथम किस्त:

प्रथम किस्त (अर्थात परियोजना लागत का 30%) परियोजना के अनुमोदन और मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए जाने तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के उपरांत जारी की जाएगी।

2. दूसरी किस्तः

परियोजना लागत के 50% की दूसरी किस्त निम्नलिखित के अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाएगीः

क. पहली किस्त के 60% का उपयोग जिसके साथ लेखा–परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र हो और प्राधिकृत एजेंसी द्वारा पीआईए लेखों का साप्ताहिक ऑफ–साईट (अर्थात् ऑनलाइन) और मासिक ऑन–साईट निरीक्षण किया गया हो।

ख. परियोजना के पूर्ववर्ती वर्षों की वर्ष–वार लेखा परीक्षित रिपोर्टें देय हो जाने पर तुरंत प्रस्तुत करना।

ग. **योजना दिशानिर्देशों के बिंदु III के घटक (क) में उल्लिखित मुद्दों को कवर करते हुए प्रशिक्षण की प्रगति रिपोर्ट।**

घ. **पीआईए को वजीफा राधि जारी करने के मामले में लाभार्थियों को दी गई वजीफा राशि दर्शाते हुए पीआईए की बैंक विवरणी के साथ प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराए गए वजीफे का विवरण।**

ङ. **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय/राज्य सरकार की टीम/मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण।**

3. तीसरी किस्त (अंतिम किस्त):

परियोजना लागत के 20% की तीसरी किस्त जारी की जाएगीः

क. मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना पूर्ण होने की रिपोर्ट।

ख. लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है।

ग. परियोजनाओं में यथा अपेक्षित प्रदानगियां पूरी कर ली जाती हैं और वास्तविक तथा वित्तीय दोनों रूपों में एमआईएस आंकड़ों के आकस्मिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से प्राधिकृत एजेंसी द्वारा सत्यापित कर दी जाती हैं।

घ. स्व–सहायता समूहों/प्लेसमेंट का निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरे।

ङ. स्व–नियोजित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रपत्र में ब्यौरे।

(VIII) आवेदन की प्रक्रिया

क. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आवश्यकता अनुसार पीआईए तथा ज्ञान भागीदारों से उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन और मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। मंत्रालय के समर्पित गैर–सरकारी संगठन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करना केवल तभी स्वीकृत किए जाएंगे यदि पोर्टल क्रियाशील हो।

ख. पीआईए तथा ज्ञान भागीदारों को पैनल में शामिल करने के लिए प्रस्तावों की जांच पूर्व– निर्धारित अनिवार्य मानदंड के आधार पर मंत्रालय की जांच समिति

द्वारा की जाएगी। **पैनल में शामिल करना वर्ष 2020 को समाप्त 14वें वित्त आयोग की पूरी अवधि के लिए वैध होगा।** तथापि, मंत्रालय के पास बिना कोई सूचना दिए किसी स्तर पर पैनल में शामिल किए जाने को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। जांच समिति निम्नलिखित अनुसार होगी:

(I) संयुक्त सचिव, अपर सचिव (संबंधित), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – अध्यक्ष
(II) प्रतिनिधि (आईएफडी), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य
(III) शिल्पों से संबंधित मंत्रालय/पीएसयू/संस्थानों से कोई एक अधिकारी – सदस्य
(IV) कला/शिल्प के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ – सदस्य
(V) उप सचिव/निदेशक(संबंधित योजना), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – संयोजक

ग. मंत्रालय आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वित्तवर्ष में संगठनों को पैनल में शामिल कर सकता है।

घ. मंत्रालय यदि आवश्यकता हो तो प्राधिकृत संगठनों/संस्थानों के माध्यम से संगठनों के प्रत्यय–पत्रों को सत्यापित कर सकता है।

ङ. सूचीबद्ध संगठनों के प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सचिव (अल्पसंख्यक मामलों) की मंजूरी से विचार किया जाएगा।

च. उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक मार्ग का भी अनुसरण कर सकता है। मंत्रालय अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करने हेतु उद्योगों अथवा औद्योगिक एसोसिएशनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

(IX) स्व–रोजगार/प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के पश्चात सहायता

क. चूंकि इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु स्व–रोजगार है, अतः पीआईए की ओर से प्रशिक्षित युवाओं के लिए उत्पादक कंपनी हेतु व्यवसाय योजना तैयार करना और इसे बाजार से जोड़ना अनिवार्य होगा। **पीआईए को एक वर्ष की अवधि के लिए स्व–सहायता समूहों के प्रयासों का समर्थन करना होगा।**

ख. संगठित क्षेत्र में प्लेसमेंट के मामले में, निम्नलिखित कुछ सामान्य प्लेसमेंट शर्तें हैं, जिन्हें पीआईए द्वारा पूरा किया जाना है:

(i) सभी अभ्यर्थियों के लिए प्लेसमेंट सहायता और परामर्श सहायता की पेशकश की जानी चाहिए।

(ii) जहां तक संभव हो, प्लेसमेंट न्यूनतम स्थान परिवर्तन किए बिना किया जाना चाहिए।

(iii) प्लेसमेंट पश्चात सहायता (पीपीएस) का उद्देश्य अभ्यर्थियों को रोजगार के प्रारंभिक महीनों में उन्हें स्थापित करने और उनकी जरूरतें पूरी करने में सहायता करना है।

(iv) वरीय रूप में, प्लेसमेंट पीएफ, ईएसआई आदि जैसे संबद्ध लाभों के साथ संगठित क्षेत्र में होना चाहिए।

(v) अनौपचारिक क्षेत्र में प्लेसमेंट में तभी विचार किया जाना चाहिए, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों:

(क) राज्य की न्यूनतम मजदूरी का आश्वासन देने वाला प्रस्ताव–पत्र।

(ख) नियोक्ता का प्रमाण–पत्र कि मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अनुसार किया गया है।

(ग) नौकरियां पूर्णतः अस्थायी नहीं होनी चाहिए और उनमें स्थिरता हो।

(vi) अभ्यर्थी को प्लेस किया हुआ माना जाएगा, यदि वह प्रशिक्षण के पश्चात कम से कम लगातार तीन महीनों के लिए नौकरी में बना रहता है/बनी रहती है। निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक को प्लेसमेंट के सबूत के रूप में माना जाएगा।

1. नियोक्ता द्वारा जारी वेतन पर्चियां।
2. वेतन के खाते में जमा करने के साथ अभ्यर्थी के बैंक खाते की खाता विवरणी।
3. अभ्यर्थी के नाम और वेतन ब्यौरे वाला पत्र।

(vii) पीआईए को प्लेसमेंट के पश्चात के कार्य को सुनिश्चित करना और इस बात की निगरानी करना है कि नई नौकरियां एक वर्ष की अवधि तक बनी रहें।

(X) सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस)

(क) कार्यक्रम की गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए सूचना का सतत आकलन किए जाने और उसे बनाए रखने की जरूरत है। इसे नियमित ट्रेकिंग और अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार, मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूपों और मानकों के अनुसार एमआईएस का अनुरक्षण पीआईए द्वारा करना होगा।

(ख) परियोजना के लिए वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस), निर्णय समर्थन प्रणालियां (डीएसएस) जैसी विभिन्न परियोजना सेवाओं के आयोजन और प्रदानगी के लिए आईसीटी मंच का उपयोग करना। कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रतिभागी विशिष्ट सूचना रखनी होगी और सभी लागू सूचना प्रदायक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। सूचना की प्रविष्टि की नियमितता और गुणवत्ता मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग) पीआईए प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात एक वर्ष के लिए सहायता/ट्रेकिंग आंकड़ों का अनुरक्षण करेगा और **प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए वास्तविक–समय वेब आधारित प्रणाली पर उसका अनुरक्षण करेगा।**

(XI) परियोजना की निगरानी

(i) प्रगति को सतत रूप में मापना निगरानी है, जब परियोजना चल रही हो, जिसमें प्रगति की जांच करना और मापना, स्थिति का विश्लेषण करना और नई घटनाओं, अवसरों तथा मुद्दों पर प्रतिक्रिया करना शामिल है। मंत्रालय किसी अन्य एजेंसी को समवर्ती निगरानी और एमआईएस के वास्तविक तथा वित्तीय

रिपोर्टों की औचक जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मंत्रालय के अधिकारी भी परियोजनाओं की निगरानी कर सकते हैं। इससे एकत्र की गई सूचना को निधियों को जारी करने तथा परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए निर्णय करने की प्रक्रिया में रखा जाएगा।

(ii) निगरानी में प्रशिक्षण केंद्रों पर औचक दौरे किए जा सकते हैं और इसे वैध करने के लिए :

(क) समुचित आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम अवसंरचना के उपलब्ध होने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) लाभार्थियों की सत्यनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए घर–घर जाकर सर्वे करना/परीक्षण दौरा करने की एमआईएस प्रविष्टियां।

(ग) लाभार्थी के परिवार के सदस्यों से मिलकर प्रशिक्षण/स्व–सहायता समूह बनाने/आवासीय क्षेत्र से उन अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट और बनाए रखने, जिन्हें परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया और जिनकी तैनाती पंचायत के बाहर की गई थी, के तथ्यों की पुष्टि करना।

(iii) कुल लागत का 3% परामर्शन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन सहित योजना के प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय किया जाएगा। प्रशासन तथा प्रबंधन के लिए, आवश्यकता अनुसार संविदागत आउटसोंस स्टॉफ के साथ एक परियोजना मैनेजमेंट एकक स्थापित किया जाएगा। संविदागत स्टॉफ को लगाने हेतु संगत जीएफआर का अनुसरण किया जाएगा। इस पर होने वाला व्यय योजना के प्रशासन और प्रबंधन हेतु निर्धारित 3% बजट से वहन किया जाएगा।

(XII) लेखापरीक्षा

(i) मंत्रालय के पास परियोजना के लेखों की लेखा परीक्षा कराने का अधिकार सुरक्षित है, यदि इसे आवश्यक समझा जाता है, इसमें सीएजी द्वारा और मंत्रालय के प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा अथवा स्वतंत्र एजेंसी द्वारा लेखा–परीक्षा शामिल है। पीआईए इस प्रयोजन के लिए सभी संगत अभिलेखों को मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसी के अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा।

(ii) वित्तीय लेखा–परीक्षा सांविधिक उपबंधों के अनुसार पीआईए के चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जानी है, और परियोजना के लेखों का अनुरक्षण सार्थक लेखा–परीक्षा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अलग से किया जाएगा।

(iii) परियोजना के अंतर्गत लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और वास्तविक प्रगति पर की गई कार्रवाई के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट केंद्रीय निधि की दूसरी/तीसरी किस्त के जारी किए जाने के समय प्रस्तुत की जाएगी।

(XIII) परियोजना का पूर्ण होना

(i) परियोजना के पूर्ण होने की रिपोर्ट लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र के साथ

और तीसरी (अंतिम) किस्त जारी किए जाने के पूर्व दूसरी किस्त की लेखा परीक्षा रिपोर्टें मंत्रालय को पीआईए द्वारा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(ii) प्रलेखन (वीडियों, आडियो और फोटोग्राफ सहित) वीडियों रिकार्डिंग के साथ परियोजना का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें परियोजना के पूर्व और पश्चात लाभार्थियों की स्थिति दी जाती है। इसमें परियोजना में दर्शाए गए अनुसार प्रदानगियों के ब्यौरे और इन प्रदानगियों की तुलना में हुई उपलब्धियां शामिल होनी चाहिए।

संघटक (ख): अनुसंधान और विकास के लिए प्रशिक्षुता वजीफा

मंत्रालय निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष "मंत्रालय द्वारा निर्धारित विषयों पर" व्यक्तियों को उस्ताद प्रशिक्षुता वजीफा प्रदान करेगा:

(क) परंपरागत कलाओं/शिल्पों के क्षेत्र में अनुसंधान।

(ख) नए डिजाइन, तक्नालॉजी और उत्पाद का विकास।

(ग) परंपरागत कलाओं/शिल्पों में उन्हें बाजार मांग के साथ समतुल्य बनाने हेतु अभिनवता।

(घ) परंपरागत कलाओं/शिल्पों के बेहतर बाजार संबंधों को स्थापित करने हेतु तकनीकें।

(ङ) अल्पसंख्यक सिद्धहस्त शिल्पकारों/कारीगरों की दशाओं में सुधार।

(च) परंपरागत शिल्पकारों/कारीगरों के श्रम की महत्ता।

(छ) परंपरागत कलाओं/शिल्पों की निरंतरता।

(I) पात्रता :

(क) अभ्यर्थी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का हो और वस्त्र डिजाइन, चमड़ा डिजाइन, कालीन डिजाइन अथवा उस क्षेत्र में जिसमें वह उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अध्येतावृत्ति का लाभ उठाना चाहता है/चाहती है, में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए।

(ख) उसे नियमित एम0फिल/पीएच0डी के लिए किसी विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए।

(ग) उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) वार्षिक लक्ष्यों की 33% सीटें अल्पसंख्यक बालिकाओं/महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी।

(II) वित्तपोषण और वित्तपोषण का स्वरूप :

(क) वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार दरें लागू होंगी। अध्येतावृत्ति तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। प्रथम और द्वितीय

वर्षों के लिए अध्येतावृत्ति 18,000/– रु0 प्रतिमाह की दर से होगी और तीसरे वर्ष के लिए अनुसंधान कार्य की प्रगति के आधार पर यह 20,000/– रु0 प्रतिमाह की दर से होगी।

(ख) अध्येतावृत्ति अधिकतम 3 वर्षों के लिए स्वीकार्य होगी। यदि रिसर्च 3 वर्षों के भीतर पूर्ण नहीं होती है तो इसे मामले की योग्यता और अनुसंधान कार्य की प्रगति के आधार पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से 20,000/– रु0 प्रतिमाह पर अधिकतम एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ई–अंतरण के माध्यम से छात्र के बैंक खाते में **अर्धवार्षिक आधार (एक ही बार में 6 महीनों की अध्येतावृत्ति)** पर निधियां अंतरित की जाएंगी। पहले वर्ष की पहली निधि पी0एचडी में प्रवेश प्राप्त करने के 6 महीने के उपरांत बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। तदन्तर निधियां प्रत्येक 6 महीने के पश्चात् तद्नुसार अंतरित की जाएंगी।

संघटक (ग): पारंपरिक कलाओं/शिल्पों के संरक्षण हेतु शिल्प संग्रहालय को सहायता

मंत्रालय निम्नलिखित संगठनों को परंपरागत कलाओं/शिल्पों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा:

(क) राष्ट्रीय/राज्य संग्रहालय

(ख) शिल्प संग्रहालय

(ग) निजी संग्रहालय

(घ) आईएनटीएसीएच, आगा खान ट्रस्ट, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिज़ाइन (एनआईडी) आदि सरीखे अन्य कोई संगठन जिन्हें पारम्परिक कलाओं/शिल्पों की क्यूरेटिंग की विशेषज्ञता व प्रतिष्ठा प्राप्त हो।

(I) वित्तपोषण:

1. इस प्रयोजन के लिए, **20 लाख रु0 तक एक परियोजना के लिए अनुदान** पर परियोजना–दर–परियोजना आधार पर विचार किया जाएगा।

2. परियोजना की जांच और इस पर विचार निम्नलिखित **मंजूरीदाता समिति** द्वारा किया जाएगा:

(i) संयुक्त सचिव (संबंधित), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – अध्यक्ष

(ii) प्रतिनिधि (आईएफडी), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – सदस्य

(iii) शिल्पों से संबंधित मंत्रालय/पीएसयू/संस्थानों से कोई एक अधिकारी – सदस्य

(iv) कला/शिल्प के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ – सदस्य

(v) उप सचिव/निदेशक (संबंधित योजना),अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय – संयोजक

1. निधियां 30:50:20 की तीन किस्तों में निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

(क) प्रथम किस्तः

प्रथम किस्त (अर्थात परियोजना लागत का 30%) परियोजना के अनुमोदन के उपरांत तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन होने के उपरांत जारी की जाएगी।

(ख) दूसरी किस्तः

परियोजना लागत के 50% की दूसरी किस्त निम्नलिखित अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाएगीः

I. प्रथम किस्त के 60% के उपयोग जिसके साथ लेखा–परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र और फोटोग्राफ के साथ प्रगति रिपोर्ट हो।

(ग) तीसरी किस्त (अंतिम किस्त)

परियोजना लागत के 20% की तीसरी किस्त निम्नलिखित के होने पर जारी की जाएगीः

i. मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना समापन रिपोर्ट।

ii. लेखा–परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो।

iii. परियोजना में यथापेक्षित प्रदानगियां (Deliverables) पूरी हों तथा यादृच्छिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से प्राधिकृत एजेंसी द्वारा सत्यापित हों।

संघटक (घ): हुनर हाट और शिल्प उत्सव– अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों को अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए सहायता

यह संघटक निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्रियान्वित किया जाएगाः

क) वैयक्तिक अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों के उत्पादों के विपणन एवं बिक्री को प्रोत्साहित करना।

ख) **अल्पसंख्यकों से संबंधित कारीगरों और पाक कला विशेषज्ञों के लिए उनके उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी और पारंपरिक भोजन परोसने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।**

ग) अल्पसंख्यक शिल्पकारों/कारीगरों को प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, क्रेता–विक्रेता समागम आदि में भागीदारी के लिए सहायता देना।

घ) राज्य/जिला स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए संगठनों (सरकारी संगठनों, पंजीकृत सोसायटियों/न्यासों/कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) को सहायता देना।

ङ) दिल्ली हाट, हस्तशिल्प विक्रय केंद्रों आदि के साथ अनुबंधन स्थापित करना।

(I) **वित्तीय मानकः** मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित दरों पर 100% वित्तपोषण किया जाएगाः

क्रम सं0	विवरण	वित्तीय मानक
1.	प्रदर्शनियां आयोजित करने की लागत	निश्चित दर 1.00 लाख रु0 प्रति स्टाल (सभी खर्च शामिल) (या वास्तविक जो भी न्यूनतम हो। और/या स्थान उपलब्ध करवाए गए स्थान/भूमि का किराया 1.00 लाख रु0 प्रति स्टाल की दर से X स्टालों की संख्या (या वास्तविक जो भी न्यूनतम हो)
2.	यात्रा भत्ता	दो व्यक्तियों के लिए रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी का शयनयान का अथवा साधारण बस का किराया (वास्तविक पर)
3.	दैनिक भत्ता	• 1200/–रु0 प्रति शिल्पकार/दस्तकार ('क' श्रेणी के शहर) • 1000/–रु0 प्रति शिल्पकार/दस्तकार('ख' श्रेणी के शहर) • 500/–रु0 प्रति शिल्पकार/दस्तकार('ग' तथा 'घ' श्रेणी के शहर)
4.	इवेंट से संबंधित विज्ञापन/बैनर पोस्टर/प्रचार	वास्तविक के अनुसार और मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन।
5.	पैवेलियन, स्टेज फ्रंट गेट का निर्माण, बिजली प्रभार, जल प्रभार, रोशनी की व्यवस्था, स्वच्छता प्रभार, सुरक्षा प्रभार और आकस्मिक व्यय सहित विविध खर्च।	वास्तविक के अनुसार और मंत्रालय के अनुमोदन के अध्यधीन।
6.	प्रतिभागी	शिल्पकार/कारीगर। स्व–सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।
7.	प्रदर्शनियों में स्टालों की संख्या	50-200
8.	प्रदर्शनी की अवधि	एक सप्ताह से तीन सप्ताह (आईआईटीएफ दिल्ली के लिए उनकी समय–सारणी के अनुसार)

(II) **हुनर हाट और शिल्प उत्सव का क्रियान्वयन एनएमडीएफसी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/ राज्यों में राज्य हस्तशिल्प निगमों/ केंद्रीय/ राज्य हस्तशिल्प–हथकरघा परिषद/हुनर हबों/कोई और परियोजना क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों(पीआईए) जिनके पास पारंपरिक शिल्पों के लिए विपणन इवेंट आयोजित करने में विशेषज्ञता हो, के माध्यम से किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हुनर हाट और शिल्प उत्सव के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा।**

(III) निधियां प्रत्येक 50% की दो किस्तों में निम्नानुसार जारी की जाएंगी:

(क) प्रथम किस्त:

- प्रथम किस्त (अर्थात परियोजना लागत का 50%) दस्तकारों को टीए/डीए के

साथ परियोजना के अनुमोदन तथा पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के उपरांत जारी की जाएगी।

- हुनर हाट प्रदर्शनी के लिए एनएमडीएफसी कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी होने के नाते सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 100% निधियां अग्रिम रूप से जारी की जा सकती है।

(ख) दूसरी किस्तः

परियोजना लागत के 50% की दूसरी किस्त निम्नलिखित के अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाएगीः–

(I) संगठन के सक्षम प्राधिकारी की ओर से प्रथम किस्त का उपयोग प्रमाण–पत्र जिसके साथ किए गए व्यय के बिल और फोटो के साथ प्रगति रिपोर्ट होगी।

(II) मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित परियोजना समापन रिपोर्ट।

(III) लेखा–परीक्षित उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(IV) परियोजना में यथापेक्षित प्रदानगियां पूरी हों तथा यादृच्छिक वास्तविक सत्यापन के माध्यम से प्राधिकृत एजेंसी द्वारा सत्यापित हों।

******

संघटक (ङ) उत्कृष्ट मास्टर शिल्पकारों और दस्तकारों/पाक कला विशेषज्ञों को उस्ताद सम्मान।

योजना का शीर्षकः उस्ताद सम्मान

1. **पृष्ठभूमि और उद्देश्यः**

शिल्पकारों के लिए उस्ताद सम्मान पुरस्कारों की शुरूआत वर्ष 2017 के दौरान की जाएगी। पुरस्कारों का प्रयोजन शिल्पकारों की उत्कृष्ट भागीदारी, शिल्पकारी एवं शिल्प के विकास को मान्यता प्रदान करना है। एक वर्ष में **अधिकतम 10 उस्ताद सम्मान होंगे**। यह मान्यता उन्हें शिल्प को और उत्साह और उत्पादक ढंग से जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी और अंत में अन्यों को उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्साहित करेगी।

2. **पात्रताः** अल्पसंख्यक समुदाय के सभी शिल्पकार जो भारत में रह रहे हैं और जो 30 वर्ष की आयु से ऊपर के हैं और जिन्हें **उस्ताद सम्मान के पिछले वर्ष** के 31 दिसंबर को शिल्प के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव है।

3. **पुरस्कार राशिः**

प्रत्येक पुरस्कार में **नकद राशि 1,00,000/– रु0 होगी। एक तांबे का फलक और एक अंगवस्त्र होगा।**

4. **चयन प्रक्रियाः**

उस्ताद सम्मान पुरस्कार के लिए चयन हेतु चयन प्रक्रिया निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगीः–

अखिल भारतीय आधार पर एक खुला विज्ञापन अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू (क्षेत्रीय भाषा में भी यदि आवश्यकता हो) में सभी मुख्य समाचार पत्रों में दिया जाएगा। आवेदक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन निम्नलिखित ढंग से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में प्राप्त किए जा सकते हैः–

क) आवेदक द्वारा सीधे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में

ख) राज्य सरकार आवेदक की सिफारिश निर्धारित प्रपत्र में भेज सकती है।

ग) लोक प्रतिनिधि आवेदक के नाम की निर्धारित प्रपत्र में भी सिफारिश कर सकते हैं।

घ) शिल्प क्रियाकलाप को बढ़ाने वाला कोई संस्थान भी सिफारिश कर सकता है।

शिल्पों की केंद्रीय स्तर की चयन समितियों द्वारा सिफारिश की गई मदों में से उस्ताद सम्मान पुरस्कारों के लिए अंतिम चयन के लिए एक सांझी केंद्रीय चयन समिति होगी।

5. **चयन के लिए मापदंडः**

शिल्पकारों, कारीगरों/पाक कला विशेषज्ञों के चयन के लिए निम्नलिखित मुख्य मापदंडों को ध्यान में रखा जाएगाः–

क) उत्कृष्ट शिल्पकारी (इसे नमूनों के साथ प्राप्त हुई सारांश एवं नमूनों और प्रदर्शों की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों की न्यूनतम 4 फोटोग्राफ या प्रदर्शों की प्रोसेसिंग की वीडियोग्राफी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि सम्भव हो।

ख) शिल्पकार/प्रयोजक संगठनों द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रदर्शों की प्रोसेसिंग।

ग) शिल्पकार और उनके शिल्पों का चयन करते समय समाप्त हो रहे शिल्पों एवं नवाचारी प्रोटोटाइप को विशेष महत्व दिया जाए।

घ) शिल्प के विकास के लिए समिति द्वारा निर्णित कोई अन्य विशेष मापदंड।

6. निम्नलिखित संरचना वाली समिति उस्ताद सम्मान का निर्णय कर सकेगी।

6.1 केंद्रीय स्तर की चयन समिति

1.	सचिव (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)	– अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव/अपर सचिव (उस्ताद)	– संयोजक
3.	संयुक्त सचिव (समन्वय)	– सदस्य
4.	निदेशक/उप सचिव (उस्ताद)	– सदस्य
5.	प्रतिनिधि एनआईडी/एनआईएफटी	– सदस्य
6.	शिल्प संग्रहालय से वरिष्ठ निदेशक	– सदस्य
7.	सचिव (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय) द्वारा नामित	– सदस्य

शिल्पों से 5 गैर–सरकारी विशेषज्ञ

6.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कौशलों/ट्रेडों के संगत संगठन के अधिकारियों और मंत्रालयों के अधिकारियों को सह–योजित कर सकता है।

चयन प्रक्रिया में कोई जटिलता या विवाद दूर करने के लिए और इसे पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय स्तर की समिति हेतु एक समान प्रोफार्मा जिसमें विभिन्न मापदंड शामिल हो और जिन पर समिति प्रत्येक प्रविष्टि का मूल्यांकन करेगी, बनाया जाए, ताकि उन्हें अपने विचार रिकार्ड करने में सुविधा हो और प्रत्येक मापदंड और प्रत्येक प्रतिस्पर्धा करने वाली प्रविष्टि के लिए प्रोफार्मा पर स्कोर कर सके। एक सदृश कारीगर का संक्षिप्त बायो–डाटा और प्रविष्टि का विवरण जिसकी प्रविष्टियां पूरी हों समिति को अग्रिम रूप से भेजा जाएगा।

7. प्रचार:

(क) अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं राज्य अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रचार के विभिन्न तरीकों से व्यापक प्रचार किया जाए। एनएमडीएफसी, एमएईएफ एवं अन्य संस्थान इस इवेंट को उचित कवरेज दे सकते हैं। हुनर हाट, दिल्ली हाट, राष्ट्रीय स्तर के मेलों, प्रदर्शनी, सेमिनार/कार्यशाला इत्यादि में ऐसे स्थानों पर पैम्फलेट वितरित किए जा सकते हैं। प्रदर्शनी बोर्डों/होर्डिंग्स पर और पैम्फलेटों में पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और चयन का संक्षिप्त मापदंड स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

(ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा टेलीविजन/आकाशवाणी पर और स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन दिया जाए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कार्य कर रहे सभी पीआईए से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित अपने कार्यक्रमों में **उस्ताद सम्मान** के बारे में व्यापक प्रचार करें।

(ग) जिला कलक्टरों/मजिस्ट्रेट/डीआईसी/पीडीओ/पंचायत और डीआरडीए से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपने स्तर पर प्रचार करें।

6. निबंधन एवं शर्तें

क्रियान्वयनकर्त्ता संगठनों के लिए **परिशिष्ट** पर दिए गए अनुसार योजना की निबंधन व शर्तें मानना अनिवार्य होगा।

7. योजना की समीक्षा

यह योजना किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आकलन एवं प्रभाव मूल्यांकन करने के उपरांत 2020 में समाप्त हो रहे 14वें वित्त आयोग के अंतिम वर्ष में समीक्षा किए जाने के अध्यधीन होगी। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पीआईए की परियोजनाओं के माध्यम से तृतीय पक्ष द्वारा आकलन और समवर्ती निगरानी भी की जाएगी।

*****

केंद्रीय क्षेत्र की उस्ताद योजना से संबंधित निबन्धन एवं शर्तें

योजना के अंतर्गत स्वीकृत सहायता–अनुदान परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों एवं ज्ञान भागीदारों (इसके पश्चात संगठन) द्वारा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन है :

1. यह कि जो संगठन, योजना के अंतर्गत सहायता–अनुदान प्राप्त करने का इच्छुक है, योजना के अंतर्गत यथा विहित पात्रता मानदंड को पूरा करेगा;
2. अनुदान का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, यह परियोजना के गुणावगुण आधार पर भारत सरकार के पूर्ण विवेक पर निर्भर करता है;
3. यह कि संगठन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरूआत में इस आशय की लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि इस दस्तावेज में समाविष्ट तथा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर यथा संशोधित शर्तें उसे स्वीकार्य हैं;
4. यह कि संगठन भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 20 रु0 के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इस आशय का एक बाँड निष्पादित करेगा कि वह अनुदान और योजना से संबंधित उन निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा, जो समय–समय पर संशोधित की जाती हैं और यह कि उसके अनुपालन में असफल रहने के मामले में, वह सरकार को इस परियोजनार्थ संस्वीकृत कुल सहायता–अनुदान को उस पर लगने वाले ब्याज के साथ लौटा देगा और कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होगा;
5. यह कि मंत्रालय परियोजना को चलाने के लिए संगठन द्वारा नियुक्त अस्थायी/नियमित कर्मचारियों को किसी किस्म के भुगतान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा;
6. यह कि संगठन, यथाप्रयोज्य, प्रशिक्षणार्थियों की उनके बैंक खाते खोलने, उनके वजीफा आदि को इलैक्ट्रॉनिक अंतरण माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरण में सहायता करेगा।
7. यह कि संगठन इस अनुदान के संबंध में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में अलग से एक खाता रखेगा। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को 10,000/– रु0 और उससे ऊपर की सभी प्राप्तियां और भुगतान चैक के माध्यम से ही किए जाएंगे। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से परियोजना को जारी रखने के लिए अनुदान मांगने के समय स्वीकृत परियोजना को चलाने के संबंध में किए गए सभी सौदों को दर्शाने वाली बैंक पास बुक की एक प्रति प्रस्तुत करने की

अपेक्षा की जाती है। ये खाते मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, भारत सरकार, अथवा संबंधित राज्य सरकार को किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। संगठन सहायता–अनुदान के खातों को या तो सीएजी के पैनल में शामिल लेखा परीक्षकों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा लेखा–परीक्षित कराएगा और हर–हालत में प्रत्येक वर्ष जून माह के अंतिम सप्ताह तक मंत्रालय को सा0वि0नि0 19(क) में उपयोग प्रमाण पत्र के साथ लेखा–परीक्षित लेखाओं की प्रति भेजेगा :

(क) वर्ष के लिए मांगे गए सहायता–अनुदान का प्राप्ति और भुगतान लेखा;

(ख) वर्ष के लिए मांगे गए सहायता–अनुदान की आय और व्यय के लेखे;

(ग) मांगे गए सहायता–अनुदान से परिसंपत्तियों और दायित्वों को दर्शाने वाला तुलन पत्र;

(घ) मद–वार ब्यौरे के साथ सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र (सा0 वि0 नि0 – 19(क) में उपयोग–प्रमाण पत्र;

(ङ) वर्ष के लिए संपूर्ण रूप में संगठन के लेखा परीक्षित लेखे।

8. संगठन मंत्रालय द्वारा यथानिर्धारित निष्पादन–सह–उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए उसने सहायता–अनुदान प्राप्त किया है;

9. यह कि सहायता–अनुदान की मदद से प्रदान की जाने वाली सुविधाएं पंथ, धर्म, रंग आदि का ध्यान दिए बिना सभी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए उपलब्ध होंगी;

10. संगठन सरकारी स्रोतों सहित किसी अन्य स्रोत से उसी प्रयोजन/परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त नहीं करेगा। यदि वह अन्य स्रोतों से भी उसी परियोजना के लिए अनुदान प्राप्त करता है, तो इसे प्राप्त करने के तुरंत पश्चात् समुचित संदर्भ के साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सूचित करना होगा;

11. संगठन, सहायता–अनुदान का विचलन नहीं करेगा अथवा उस परियोजना का निष्पादन किसी अन्य संगठन या संस्थान को नहीं सौंपेगा, जिसके लिए सहायता–अनुदान स्वीकृत किया गया है;

12. यह कि यदि सरकार परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है अथवा यह समझती है कि योजना के दिशा–निर्देशों, स्वीकृति की निबंधनों एवं शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसके पास तत्काल प्रभाव से सहायता–अनुदान को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और वह पूर्व सूचना के साथ अथवा इसके बिना ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सकती है, जो वह उचित समझे। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा किसी संगठन को एक

बार काली सूची में डाल दिए जाने पर, उसे भविष्य में अनुदान देने हेतु मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, चाहे उसे किसी समय काली सूची से हटा ही दिया गया हो;

13. यह कि परियोजना के नवीकरण के समय अनुदान का कोई अव्ययित शेष मंत्रालय द्वारा बाद में अनुमेय अनुदान में समायोजित कर दिया जाएगा;

14. इस सहायता–अनुदान से पूर्ण रूप से अथवा पर्याप्त रूप से प्राप्त किसी परिसंपत्ति का निपटान अथवा ऋण–ग्रस्त नहीं किया जाएगा और अथवा जिसके लिए इसकी मंजूरी दी गई है, उससे इतर किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा;

15. संगठन इस सहायता–अनुदान से प्राप्त की गई पूर्ण अथवा आंशिक स्थायी और अर्धस्थायी परिसंपत्तियों का सा0 वि0 नि0 (19) में रजिस्टर बनाकर रखेगा। यह रजिस्टर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यालय के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। इस अनुदान के संबंध में यह रजिस्टर अलग से रखा जाएगा और लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ उसकी एक प्रति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी;

16. वार्षिक अनुदान की अंतिम किस्त को जारी किया जाना अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुसार वर्ष के दौरान पहले जारी की गई किस्तों के समुचित उपयोग का संगत साक्ष्य मुहैया कराने की शर्त पर होगा;

17. संगठनों को अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अन्य मौजूदा सेवाओं के तालमेल हेतु जिला प्रशासन के साथ संपर्क करना चाहिए। इन्हें स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी संपर्क कायम करना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए। सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने के लिए इनके पास संस्थागत व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए;

18. सामान्य वित्तीय नियम 150(2) के उपबंध वहां लागू होंगे, जहां पीआईए को निर्धारित राशि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है;

19. संगठन समुचित रूप से बोर्ड प्रदर्शित करेगा, जो परियोजना स्थल पर लगाए जाए जिन पर यह दर्शाया जाए कि यह परियोजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में चलाई जा रही है;

20. अनावर्ती मद्दों (यदि कोई हैं) की खरीद प्राधिकृत विक्रेताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी कीमतो पर की जानी चाहिए और निरीक्षण के लिए बाउचर प्रस्तुत किए जाने चाहिएं;

21. यह कि संगठन लाभार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेगा;

22. नई परियोजनाओं के मामले में, संगठन परियोजना के प्रारंभ होने की तारीख के बारे में इस मंत्रालय और राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित करेगा और यह संगठन द्वारा उनके बैंक खाते में निधियों की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए;

23. यह कि संगठन इन अनुदानों से किसी धार्मिक/सांप्रदायिक/रूढ़िवादी/विभाजक विश्वासों अथवा सिद्धांतों की हिमायत नहीं करेगा अथवा बढ़ावा नहीं देगा;

24. न्यायालय मामले की स्थिति में, संगठन तब तक किसी सहायता–अनुदान का हकदार नहीं होगा, जब तक मामला न्यायालय में लंबित है; मंत्रालय कार्यान्वयनकर्ता संगठन और तीसरे पक्ष के बीच किसी कानूनी/बौद्धिक/संविदागत विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुदान स्वीकार करके, प्राप्तकर्ता इस शर्त को स्वीकार करता है;

25. अनुदानों को जारी किए जाने के संबंध में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित सभी विवादों के निपटान का अधिकार क्षेत्र दिल्ली न्यायालय होगा;

26. संगठन को योजना के सभी उक्त निबंधनों एवं शर्तों, दिशा–निर्देशों, सा0वि0नि0 के उपबंधों और उनमें किसी पश्चवर्ती संशोधन/परिवर्तन का अनुपालन करना होगा।

आदाता एजेंसी के अध्यक्ष/सचिव/सीईओ के हस्ताक्षर

स्थानः **(पूरा नाम)**

दिनांकः **पदनाम**

सरकारी मुहर

*****

सत्यमेव जयते

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

11वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन

सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

समाधान हेल्पलाइन(टोल फ्री): 1800-11-2001

वेबसाइट: www.minorityaffairs.gov.in

Design & Print: Aruna Printers # 9717890040